संख्या-9/2022/ए084-20222023-001-549-2022

प्रेषक,

मार्कण्डेय शाही,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 20 जून, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय" के अन्तर्गत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर का क्रय में प्राविधानित धनराशि को नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-241/निविमावि-लेखा-7(25)मांग/2022, दिनॉक 14.06.2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07-06-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 के कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय" के अन्तर्गत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर का क्रय में प्राविधानित धनराशि कुल रू0-50.00 लाख(रूपये पचास लाख मात्र) के सापेक्ष, शासनादेश संख्या-7/2022/ए0ओ08420222023-001-235-2022, दिनांक 21 अप्रैल, 2022, जिसके द्वारा प्रश्नगत मानक मद में धनराशि रू0-1.67 लाख आपके निर्वतन पर रखी गयी है, के अनुक्रम में रू0-48.33 लाख(रूपये अड़तालिस लाख तैतिंस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1)- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलो/मदों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डर्ड ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3)- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर के क्रय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय किया जाय।

(4)- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/ डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5)- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जाये तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में) के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6)- इस शासनादेश के अन्र्तगत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनॉक 30-12-2021 व पत्र संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29-03-2022 तथा पत्र संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07-06-2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7)- यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। विभागाध्यक्ष/ वित्त नियंत्रक, अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृटिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर की सम्भावना मालूम पडे तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 48,33,000/-(रूपये अड़तालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-021 के लेखाशीर्षक 3475001060300 अधिष्ठान व्यय मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर का क्रय, के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनॉक 07-06-2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव

संख्या-9/2022/A084-20222023-001-549-2022,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।
4- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(तीन प्रतियों में)
9- नोडल अधिकारी, खाद्य एवं रसद /उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग,उ0प्र0 शासन।
10- लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग/उ0सं0 एवं बाट माप अनुभाग-3/ खाद्य एवं रसद अनुभाग-3
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in